

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम


चित्तौड़गढ़ (राज.)

जन्दा

बनाम

पीरालाम

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 334/2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
03/07/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>जन्दा</u></p> <p>पिता श्री <u>हजारी लाल मामी</u></p> <p>निवासी- <u>दुवावा</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>दुवावा (पण्ड. लोणगा)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर... 940</p> <p>कुल कीता 1 कुल रकबा <u>0.4100</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>दुवावा (पण्ड. लोणगा तहसील वस्ती)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>940</u></p> <p>कुल कीता 1 रकबा <u>0.4100</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी क खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>500/-</u> रुपये अक्षरे <u>पांच सौ (500/-)</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (रामचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ </p>